हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/7 चैत्र, 1946(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित :**

(i) स्थगित	}	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।
(ii) दिन के लिए		

   (2) **अतारांकित :**

(i) स्थगित	}	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।
(ii) दिन के लिए		

2. **कागजात सभा पटल पर रखा जाएगा:**

   श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

3. **नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:**

   श्री पवन कुमार काजल, "कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग मण्डल शाहपुर के अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं की डी0 पी0 आर0 के बारे सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

4. **विधायी कार्य:**

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
(2025 का विधेयक संख्यांक 1)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(2) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि अपराधों के दायरे को विस्तृत करते हुए, निवारक उपायों में वृद्धि करते हुए और आपराधिक सिंडिकेटों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित करते हुए विधिक ढाचें को सुदृढ़ करने, संगठित अपराध का सामना करने के लिए तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियन्त्रण) विधेयक, 2025
(2025 का विधेयक संख्यांक 5)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(3) डॉ0 (कर्नल) **धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि मादक पदार्थों और नियन्त्रित पदार्थों के दुरूपयोग को नियन्त्रित करने, विनियमित करने और रोकने तथा व्यसनियों के पुनर्वास हेतु नशामुक्ति केन्द्रों को स्थापित करने और उससे सम्बद्ध और उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025
(2025 का विधेयक संख्यांक 6)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(4) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025
(2025 का विधेयक संख्यांक 4)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(5) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025
(2025 का विधेयक संख्यांक 7)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

5. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (39-बड़सर), शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गवाही-कड़ोग सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से पर रिटेनिंग वॉल न बनने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

शिमला-171004 (यशपाल शर्मा)
दिनांक: 27 मार्च, 2025 सचिव।

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)